

## अध्याय - VI

भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
की निरीक्षण भूमिका



## अध्याय-VI

### भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका

#### 6.1 परिचय

इस अध्याय में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वर्ष 2020-21 या इससे पूर्ववर्ती वर्षों के इस वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में सांविधिक निगमों जहाँ सीएजी एकल लेखापरीक्षक है के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा निर्गत टिप्पणियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

#### 6.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा, विधि उपबन्ध इत्यादि

सीएजी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) व (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने या उस पर अनुपूरक प्रतिवेदन निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित हैं कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाये तथा एक प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाये।

#### 6.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर की जानी है। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिन के अन्दर सीएजी द्वारा प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

#### 6.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

#### 6.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना होता है। इसके तैयार होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों की प्रति को विधायिका के दोनों सदनो के समक्ष रखा जाना चाहिए। समान प्रावधान सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में विद्यमान हैं। यह प्रणाली राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियन्त्रण प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम और उसकी अगली की तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 तय करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार हेतु प्रस्तुत करना होता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के उत्तरदायी व्यक्तियों निदेशकों सहित पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का प्रावधान करती है।

31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) में से 71 कार्यरत पीएसयू (52 सरकारी कम्पनियाँ, 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) तथा 44 अकार्यरत पीएसयू (42 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) थे। लेखाओं को तैयार करने में पीएसयू द्वारा अनुसरण की गई समयबद्धता की स्थिति इस प्रकार है :

### 6.3.2 पीएसयू द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2020-21 के लेखे 30 सितम्बर 2021 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, भारत सरकार ने दिनांक 23 सितम्बर 2021 के अपने परिपत्र<sup>74</sup> द्वारा कम्पनियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एजीएम आयोजित करने की तिथि को 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाया था।

- 65 कार्यकारी सरकारी कम्पनियों (52 सरकारी कम्पनियाँ एवं 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) में से केवल चार पीएसयू<sup>75</sup> (तीन सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे सीएजी द्वारा संपरीक्षित करने के लिए 30 नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, 61 कार्यरत पीएसयू (49 सरकारी कम्पनियाँ एवं 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के लेखे बकाया थे।
- छः सांविधिक निगमों में से सीएजी चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) में एकल लेखापरीक्षक हैं। 30 नवम्बर 2021 तक इन चार सांविधिक निगमों में आठ लेखे<sup>76</sup> बकाया थे। अग्रेतर, इन सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2021 तक) के लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये।

राज्य पीएसयू द्वारा 30 नवम्बर 2021 तक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

<sup>74</sup> कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, परिपत्र संख्या 09/02/आदेश/एजीएम विस्तार/2021/1488

<sup>75</sup> यू0पी0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद (सरकारी कम्पनियाँ) और डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनी)

<sup>76</sup> (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2019-20 एवं 2020-21; (ii) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वर्ष 2020-21; (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2020-21 के लेखे।

तालिका 6.1: पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति				
	सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग	
31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पीएसयू की कुल संख्या	94	15	06	115	
घटाया : नये पीएसयू जिनके लेखे 2020-21 के लिए देय नहीं थे	-	-	-	-	
घटाया : परिसमापन के अधीन पीएसयू जिनके 2020-21 के लेखे देय नहीं थे	12	01	-	13	
पीएसयू की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे	82	14	06	102	
30 नवम्बर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2020-21 के लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयू की संख्या	05 <sup>77</sup>	01	-	06	
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे <sup>78</sup>	87 <sup>79</sup>	14	06	107 <sup>80</sup>	
बकाया लेखाओं की संख्या	897	57	19	973	
बकाये का विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	112	08	-	120
	(ii) अकार्यरत	553	26	-	579
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	48	10	-	58
	(iv) अन्य	184	13	19	216
'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकाये का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020-21)	14	07	02	23
	दो वर्ष (2019-20 और 2020-21)	14	06	02	22
	तीन वर्ष एवं अधिक	156	-	15	171

ऊर्जा क्षेत्र के 13 में से नौ पीएसयू जिनके लेखे बकाये थे, को उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ₹ 20,917.77 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,568.47 करोड़, अनुदान: ₹ 692.13 करोड़ और सब्सिडी: ₹ 9,657.17 करोड़) प्रदान किया था, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के शेष चार पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयू में से 37 पीएसयू जिनके लेखे बकाये थे को जीओयूपी ने ₹ 6,441.57 करोड़ (पूँजी: ₹ 290.64 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, अनुदान: ₹ 3,394.22 करोड़ और सब्सिडी ₹ 280.17 करोड़) प्रदान किये थे, जबकि शेष 57 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान, कोई निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं के बकाया होने के वर्षों की अवधि के दौरान

<sup>77</sup> इसमें दो अकार्यरत पीएसयू (यू0पी0 स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड एवं सदरन यू0पी0 पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड) शामिल है।

<sup>78</sup> परिसमापन के अधीन पीएसयू के बकाया लेखे शामिल करते हुए।

<sup>79</sup> 94 (कुल सरकारी कम्पनियाँ) – 7 (5 सरकारी कम्पनियाँ ने 2020-21 के लेखे प्रस्तुत किये और परिसमापन के अधीन दो पीएसयू जिनके लेखे बकाया नहीं थे)

<sup>80</sup> इसमें दो पीएसयू उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन थे, जिनके परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाये नहीं थे, शामिल नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा पीएसयू-वार किये गये निवेश का विवरण परिशिष्ट-6.1 में दर्शाया गया है।

इन पीएसयू की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

### 6.3.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान वहन हानि/अर्जित लाभ को सम्मिलित करते हुए इन 107 पीएसयू<sup>81</sup> के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान को आंकलित/राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं तथा निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के संबंध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेंक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह प्रकरण बड़ी चिन्ता का विषय है।

### 6.3.2.2 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2021 को, 44 राज्य पीएसयू (42 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थे जिनमें पूँजी (₹ 1,084.07 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 731.53 करोड़) के रूप में कुल निवेश ₹ 1,815.60 करोड़ था। इनमें मुख्य निवेश उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (₹ 288.88 करोड़), नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) और उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 206.80 करोड़) में था। अकार्यरत पीएसयू में परिसमापन के अधीन 13 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) सम्मिलित हैं, राज्य सरकार इन अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

### 6.3.2.3 अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखे

44 अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अधीन 13 पीएसयू को सम्मिलित करते हुए), में से 40 अकार्यरत पीएसयू (38 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के 699 लेखे 30 नवम्बर 2021 को बकाया थे। इन पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण तालिका 6.2 में दिया गया है।

तालिका 6.2: अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण

		बकाये का आयुवार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयू	परिसमापन के अधीन	4	1	5	1	11
	अन्य	5	5	5	14	29

<sup>81</sup> ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयू

		बकाये का आयुवार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाये लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अधीन पीएसयू	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयू	18	41	82	438	579

#### 6.4 सीएजी का निरीक्षण – लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा

##### 6.4.1 वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप और केन्द्र सरकार द्वारा लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से सम्बन्धित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित प्रारूप में लेखे तैयार किया जाना चाहिए।

##### 6.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस, समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, पीएसयू की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निष्पादन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश निर्गत करना और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

##### 6.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व इकाई के प्रबन्धन का है।

सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

उक्त समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियां, यदि कोई कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की गयी हों को एजीएम के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

## 6.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

### 6.5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

30 नवंबर 2021<sup>82</sup> तक 46 पीएसयू (33 सरकारी कम्पनियाँ, 10 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और तीन सांविधिक निगम) से वर्ष 2020-21 तक के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जो कि **परिशिष्ट-6.2** में वर्णित है। सीएजी द्वारा उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में 28 पीएसयू<sup>83</sup> (21 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और चार सांविधिक निगमों) के लेखाओं की समीक्षा और टिप्पणियाँ की गई थीं जैसा कि **परिशिष्ट-6.3** में वर्णित है। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

### 6.5.2 वित्तीय विवरणों में संशोधन

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, जहाँ किसी सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी या सांविधिक निगम ने इसे एजीएम में/विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अपने वित्तीय विवरणों को संशोधित किया हो।

### 6.5.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का संशोधन

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कम्पनी (नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन को संशोधित किया है।

### 6.5.4 सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर एकल लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

वर्ष 2020-21 तक के लिए वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के उपरांत चयनित सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की गयी। जिन पीएसयू के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी उनकी सूची **परिशिष्ट 6.3** में दी गयी है। सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 136.99 करोड़ और परिसंपत्तियों/दायित्वों पर ₹ 800.93 करोड़ था, उनमें से कुछ निम्नवत है:

<sup>82</sup> 01 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान

<sup>83</sup> 28 पीएसयू में से, 19 पीएसयू (16 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनी और दो सांविधिक निगमों) ने अपने लेखे 01 जनवरी 2021 से पूर्व प्रस्तुत किये थे।

(अ) सरकारी कम्पनियाँ

1. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय में आंतरिक रूप से उपभोग की गई ऊर्जा पर ₹ 2.78 करोड़ का विद्युत कर शामिल है जो उ0प्र0 विद्युत कर (संशोधित) अधिनियम 1970 की धारा 3(5) के प्रावधानों के विरुद्ध था जो प्रावधानित करते हैं कि एक लाइसेंसी द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा पर विद्युत कर नहीं लगाया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के साथ ही साथ हानि प्रत्येक को ₹ 2.78 करोड़ से अधिक बताया गया।
2.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	कम्पनी के कर्मचारी कल्याण व्यय में सातवें वेतन आयोग के बकाये का ₹ 24.41 करोड़ शामिल है जिसके लिए लेखा पुस्तकों में पूर्व के वर्षों में पहले ही दायित्व/प्रावधान बना लिया गया था। विद्यमान प्रावधान को समायोजित करने के स्थान पर, कम्पनी ने भुगतान करते समय इसको वर्तमान वर्ष के लिए कर्मचारी कल्याण व्यय के रूप में प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी कल्याण व्यय और अन्य चालू दायित्व प्रत्येक ₹ 24.41 करोड़ से अधिक बताया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए लाभ उतनी ही धनराशि से कम बताया गया।
3.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	<p>1. कम्पनी ने प्रकट किया कि “ओबरा एचईपी, खारा, यूजीसी, बेलका, बाबेल और शीतला स्मॉल हाइड्रो प्लांट (एसएचपी) के विक्रय का लेखांकन माननीय यूपीईआरसी द्वारा तय किये गए टैरिफ (03 जुलाई 2018) के अनुसार किया गया है”</p> <p>उपरोक्त प्रकटीकरण के विपरीत कम्पनी ने 2017-18 में ₹ 60.59 करोड़ और ₹ 6.14 करोड़ की राशि के लिए विक्रय समायोजन किया है। कम्पनी द्वारा किए विक्रय के यह समायोजन टैरिफ की शर्तों के अनुसार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, संचालन से राजस्व, पूर्व अवधि आय और व्यापार प्राप्य क्रमशः ₹ 6.14 करोड़, ₹ 60.59 करोड़ तथा ₹ 66.73 करोड़ से कम बताये गये हैं। जबकि वर्ष के लिए हानि ₹ 66.73 करोड़ से अधिक बतायी गयी थी।</p> <p>2. कम्पनी ने 2016-17 और 2017-18 की अवधि के दौरान विक्रय से क्रमशः ₹ 13.09 करोड़ और ₹ 14.99 करोड़ एलआईसी ऋण पर ब्याज के घटक के संबंध में कटौती की है क्योंकि यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश के अनुसार उसे भुगतान आधार पर दावा किया जाना था। कम्पनी ने लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के अन्तर्गत एलआईसी ऋण पर देय ब्याज के सापेक्ष 2016-17 एवं 2017-18 प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 11.93 करोड़ का प्रावधान भी किया।</p> <p>इस प्रकार, एक ओर कम्पनी ने राजस्व की पहचान नहीं की है लेकिन एलआईसी ऋण पर</p>

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			देय ब्याज के सापेक्ष व्यय के लिए प्रावधान उपाजन आधार पर किया। यह प्रतिपादन लेखांकन के मिलान सिद्धांत के विरुद्ध है जो उसी अवधि में व्यय को प्रभारित करने की अपेक्षा करता है जिसमें सम्बन्धित राजस्व उपार्जित किये गए हैं। परिणामस्वरूप, 'संचालन से राजस्व' और 'व्यापार प्राप्य' क्रमशः ₹ 14.99 करोड़ और ₹ 28.08 करोड़ से कम बताए गए हैं। अग्रेतर, वर्ष के लिए हानि और संचित हानियाँ क्रमशः ₹ 14.99 करोड़ और ₹ 28.08 करोड़ अधिक बताई गई हैं।

## 2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी के चालू दायित्वों में नजूल भूमि के बंधमुक्त भूमि में परिवर्तन के लिए परिवर्तन प्रभार के विलंबित भुगतान के कारण उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को देय ब्याज ₹ 51.96 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्व' के साथ ही साथ 'परिसंपत्तियाँ, प्लॉट और संयंत्र' प्रत्येक ₹ 51.96 करोड़ से कम बताए गए हैं।
2.	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	दीर्घकालीन देनदारियों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) से प्राप्त ऋण और प्राप्त ऋण पर देय ब्याज शामिल है। एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रदान किये गए विवरण के अनुसार ऋण और उस पर वर्ष के लिए देय ब्याज ₹ 54.16 करोड़ था जबकि कम्पनी ₹ 50.16 करोड़ का शेष दिखा रही थी। इस प्रकार, दीर्घकालिक देनदारियाँ एवं चालू परिसंपत्तियाँ ₹ 4.00 करोड़ की सीमा तक कम बताई गई हैं।
3.	यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	कम्पनी ने इण्ड. ए.एस. 23 (उधार लागत) के प्रावधानों के विपरीत उधार देने वाली एजेंसी को ₹ 4.88 करोड़ (मूलधन और ब्याज के भुगतान में देरी के कारण 2016-17 की अवधि में भुगतान) के दंडनीय ब्याज को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लेखांकित किया। इस प्रकार, दंडनीय ब्याज के पूंजीकरण के कारण, सीडब्ल्यूआईपी तथा अन्य पूंजी प्रत्येक ₹ 4.88 करोड़ से अधिक बताई गई हैं।
4.	यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में फरवरी 2009 से मार्च 2017 के मध्य निष्पादित कार्यों हेतु श्रमिक कल्याण बोर्ड को देय श्रमिक उपकर ₹ 32.33 करोड़ शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालीन दायित्वों और चालू परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य) प्रत्येक को ₹ 32.33 करोड़ से कम बताया गया है।
5.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1. परिसंपत्तियाँ प्लॉट और संयंत्र में ₹ 6.75 करोड़ धनराशि के उपभोग योग्य स्पेयर्स शामिल है जिसे माल सूची के रूप में लेखांकन करने के बजाय रोलिंग स्टॉक के मूल्य के साथ पूंजीगत किया गया

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.75 करोड़ से प्रत्येक 'परिसम्पत्तियां, प्लांट और संयंत्र' (रोलिंग स्टॉक) को अधिक एवं वस्तु सूची को कम बताया गया था। 2. ट्रैक कार्य (पी-वे), पूंजीगत कार्य प्रगति पर लखनऊ मेट्रो परियोजना पर अधिशेष भण्डार (स्लीपर्स, पटरियां, क्लैपस इत्यादि) प्रदर्शित करते हैं। यह सामान नई रेल पटरियों को बिछाने के लिए उपयोग किये जाने वाले सामानों से बचे हुए थे और लखनऊ परियोजना में इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परियोजना पहले ही पूर्ण और चालू हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.83 करोड़ से प्रत्येक 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर (लखनऊ)' को अधिक तथा 'वस्तु सूची' को कम बताया गया था।
6.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	अन्य दीर्घकालीन देयताओं के मद में 'उत्तर प्रदेश सरकार से अग्रिम' की शेष धनराशि ₹ 688.18 करोड़ की राशि के कार्य प्रगति पर (पूर्ण कार्य) के मूल्य को समायोजित करने के बाद निकाली गई है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार कार्य प्रगति पर और तैयार भण्डार (पूर्ण कार्य) को राज्य सरकार को उनके हस्तांतरण तक "चालू परिसंपत्तियां – माल सूची के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालीन देयताओं के साथ ही साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 688.18 करोड़ से कम बताया गया है।

### 3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	कम्पनी ने "सहायता अनुदान" के सम्बन्ध में लेखा नीतियों पर टिप्पणियों में प्रकट किया कि केन्द्र सरकार से प्राप्त ₹ 8.89 लाख अनुदान का उपयोग विगत वर्षों की हानियों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। प्रकटीकरण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था न कि केन्द्र सरकार से।
2.	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	2016-17	आकस्मिक देयताओं पर लेखाओं की टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार ऋण और अग्रिम में, कुछ व्यय, शामिल है जिनका भुगतान "उचंचत खाते" को डेबिट करके किया गया है क्योंकि इसके व्यय की प्रकृति अभी तय की जानी है और/या भुगतान विवादित हो गया। इसी प्रकार लेनदारों में कुछ प्राप्तियां जिनका समायोजन उचंचत खाते को क्रेडिट करके किया गया है क्योंकि ऐसी प्राप्तियों की प्रकृति अभी निर्धारित की जानी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उचंचत खाते के अंतर्गत ₹ 11.50 लाख डेबिट किये गये थे और ₹ 2.90 करोड़ क्रेडिट किये गये थे लेकिन वित्तीय निहितार्थ को कम्पनी द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया।
3.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी ने यूपीपीसीएल (स्वामित्व कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनी की ओर से ब्याज की छूट के लिए दायर याचिका के बावजूद यूपीईआरसी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान पर अर्जित ब्याज

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			के प्रति ₹ 36.52 लाख की आकस्मिक देयताओं को प्रकट नहीं किया।
4.	यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 308(ई) के अनुसार, कम्पनी को 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे और लेन-देन किये गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का विवरण प्रकट करना चाहिए था। कम्पनी, ने उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए लेखाओं पर टिप्पणियों में वांछित सूचना प्रकट नहीं की।
5.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कम्पनी को कार्स्टिंग यार्ड की स्थापना के लिए 60,000 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर आवंटित की और कम्पनी से ₹ 24.40 करोड़ देय किराये की धनराशि की मांग की। कम्पनी ने 29 दिसम्बर 2019 को सर्कल रेट के आधार पर गणना के अनुसार एएआई को ₹ 2.29 करोड़ की धनराशि भुगतान की जो एएआई को स्वीकार्य नहीं थी। इस तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है। 2. कम्पनी ने राजकीय महिला पालिटेक्निक, लखनऊ की 4,000 वर्ग मीटर भूमि और राजकीय पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 48.03 वर्ग मीटर भूमि रिसीविंग सब-स्टेशन और वाय डक्ट के निर्माण के लिए उपयोग की। तथापि, उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित पट्टा एवं उप-पट्टा अनुबंधों पर हस्ताक्षर अभी भी लंबित हैं। इस सारवान तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया था।

#### 4. सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन बताता है कि कम्पनी ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सब्सिडी/अनुदान प्राप्त किया तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त धनराशि को पूंजी संचय के स्थान पर आय माना जाना चाहिए था। लेकिन प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं है कि सब्सिडी के उस भाग को जो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त हुआ है तथा पूंजी संचय में दिखाया गया उसे इण्ड.ए.एस.-20 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि खाते के क्रेडिट में व्यवस्थित रूप से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था।
2.	नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों, कृत कार्यवाही और कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
3.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट	2018-19	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया कि कम्पनी के पास चरणबद्ध तरीके से अचल

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
	कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड		परिसंपत्तियों के सभी मदों को आच्छादित करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम था, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के सम्बन्ध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। उपरोक्त टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
4.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	2000-01	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कर्मचारी अग्रिमों में कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल था जिसे चालू देयताओं में दिखाया जाना चाहिए था। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने ₹ 22.46 लाख की धनराशि का निर्धारण नहीं किया जिसे कर्मचारी अग्रिम के क्रेडिट शेष के रूप में दिखाया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2016-17	लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों, कृत कार्यवाही और कम्पनी के वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2016-17	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 308 (ई) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों को अपने प्रतिवेदन में प्रकट करना चाहिये था कि क्या कम्पनी ने 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे और लेन-देन किये गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) से संबंधित आवश्यक प्रकटन को इनके वित्तीय विवरणों में दिखाया है। कम्पनी ने एमसीए की अधिसूचना के अनुसार एसबीएन सूचना को प्रकट नहीं किया था तथा सांविधिक लेखापरीक्षक भी अपने प्रतिवेदन में इसे प्रतिवेदित करने में असफल रहे।

(ब) सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ

1. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	अन्य व्यय में विशिष्ट परियोजना से सम्बन्धित परियोजना प्रबंध परामर्श (पीएमसी) प्रभार धनराशि ₹ 1.00 करोड़ शामिल है। इस व्यय को परियोजना अनुदान के विरुद्ध समायोजित करने के स्थान पर लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय, संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत परियोजना कोष के लिए अनुदान तथा हानि प्रत्येक ₹ 1.00 करोड़ से अधिक बताए गए।
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	संचालन से प्राप्त राजस्व में भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान पर वर्ष के दौरान ₹ 49.43 लाख का अर्जित ब्याज शामिल है। कम्पनी ने सरकारी अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को देयता के रूप में लेखांकित करने के स्थान पर इसे अपनी आय में दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			₹ 49.43 लाख से प्रत्येक संचालन से राजस्व को अधिक और अन्य चालू देयताओं को कम बताया गया। तदनुसार वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 49.43 लाख से अधिक बताया गया था।

## 2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	अनुदान पर ब्याज (संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत) में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) से प्राप्त अप्रयुक्त प्रशासनिक तथा संचालन व्यय (ए एवं ओई) अनुदान और परियोजना निधि अनुदान पर अर्जित ब्याज की ₹ 1.21 करोड़ धनराशि शामिल है। कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लेखाओं में इसे चालू देयताओं के स्थान पर संचय एवं आधिक्य के भाग के रूप में दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ से प्रत्येक संचय एवं आधिक्य को अधिक तथा चालू देयताओं को कम बताया गया।
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी ने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की अवस्था से और उसके दैनिक संचालन के व्ययों को पूरा करने हेतु प्रशासनिक और कार्यालय व्ययों (ए एवं ओई) का ₹ 10 करोड़ (2018-19 तक) का अनुदान प्राप्त किया। तथापि, कम्पनी के निगमन से पूर्व ₹ 84.40 लाख के व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित करने के स्थान पर अस्थगित व्यय के रूप में प्रतिपादित किये गये। अग्रेतर, ए एवं ओई अनुदान से मिलान धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में आय के रूप में लेखांकित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियां तथा अन्य चालू देयताओं प्रत्येक को ₹ 84.40 लाख से अधिक दिखाया गया था।
3.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था (एसपीवी) की संरचना, एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित की जाएगी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) दोनों द्वारा 50:50 अंश पूँजी रखते हुए, संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। कम्पनी वर्ष 2018-19 में निगमित हुई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने धनराशि ₹ 50 लाख के 50,000 समता अंश प्रत्येक ₹ 100 के आवंटित किये और यूएलबी तथा राज्य सरकार प्रत्येक को 25,000 समता अंश आवंटित किये। आवंटन के सापेक्ष ₹ 50 लाख की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार (जीओआई) अनुदान से उपयोग की गई थी तथा राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्राप्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू देयताओं तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों प्रत्येक को ₹ 25 लाख से कम बताया गया है।

### 3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार के स्मार्ट सिटी दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि 'स्मार्ट सिटी मिशन में एस्पीवी को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि बंधित अनुदान के रूप में और पृथक अनुदान निधि में रखे जायेंगे'। तथापि, कम्पनी ने ए एंड ओई अनुदान तथा परियोजना निधि अनुदान के लिए प्राप्त निधियों को एक ही खाते में रखा। अग्रेतर, लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' भी लेखाओं में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण की विधियों सहित सरकारी अनुदान के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति के प्रकटीकरण का प्रावधान करते हैं। लेकिन एएस-12 में अपेक्षित सरकारी अनुदान के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई गई।

#### सांविधिक निगम जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, उनके लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नवत हैं:

#### 1. उत्तर प्रदेश वन निगम (2018-19)

- 'वन विकास गतिविधियों' पर व्यय में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली (आईसीआर) के आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को देय ₹ 1.75 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। आईसीआर के लिए कुल बजट आवंटन ₹ 3.50 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वन निगम द्वारा पर्यटन विभाग को ₹ 1.75 करोड़ निर्गत किए गए थे। शेष ₹ 1.75 करोड़ पर्यटन विभाग को निर्गत नहीं किये गये थे जिसके लिए लेखाओं में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ से चालू देनदारियों और प्रावधान को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।

#### 2. उत्तर प्रदेश जल निगम (2012-13)

- परियोजनाओं के लिए प्राप्त निक्षेप राशि को ₹ 76.17 करोड़ से कम बताया गया है, क्योंकि जमा कार्यों के निष्पादन के लिए प्राप्त निधियों के निवेश पर 2008-09 से 2012-13 के दौरान ब्याज अर्जित किया गया था, जिसे देनदारियों के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए प्राप्त निक्षेप में जमा करने के स्थान पर निगम की आय के रूप में माना गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को भी ₹ 76.17 करोड़ से अधिक बताया गया।
- देय पेंशन और उपदान को ₹ 67.64 करोड़ से कम बताया गया क्योंकि 2008-09 से 2012-13 के वर्षों के लिए देय पेंशन और उपदान प्रावधान को लेखाओं में लेखांकित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष भी उस सीमा तक बढ़ा हुआ बताया गया।
- अवकाश नकदीकरण/देय बकाया के प्रति देयता ₹ 55.51 करोड़ से कम बताई गई क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए देय अवकाश नकदीकरण/बकाया के प्रावधान को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष भी उस सीमा तक बढ़ा हुआ बताया गया।
- विश्व बैंक के ₹ 42.29 करोड़ के ऋण (1990-91 से 1995-96 के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त) असुरक्षित ऋण के बजाय चालू देनदारियों के अन्तर्गत अन्य से निक्षेप राशि के रूप में प्रदर्शित होने के कारण तथा उस पर मार्च 2013 के

अंत तक देय ब्याज ₹ 105.38 करोड़ की धनराशि का लेखा-जोखा नहीं करने से उत्तर प्रदेश सरकार से असुरक्षित ऋण को ₹ 147.67 करोड़ से कम बताया गया है।

- निर्माण और डिजाइन सेवा प्रभाग के कार्य प्रगति पर में निगम द्वारा प्राप्त निक्षेप राशि से निष्पादित किए जा रहे ₹ 526.28 करोड़ के कार्य शामिल किये गये हैं जिन्हें पहले ही पूरा किया जा चुका है और ग्राहकों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसे समायोजित नहीं करने के परिणामस्वरूप 'कार्य प्रगति पर' और 'चालू देनदारियों' प्रत्येक को ₹ 526.28 करोड़ से अधिक बताया गया।
- बबीना (झांसी) परियोजना 1996-97 में ₹ 48.29 करोड़ की लागत से पूरी हुई थी। इसे 'कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत शामिल करने के के स्थान पर 'यूपी जल निगम द्वारा अनुरक्षित पूर्ण ग्रामीण जल कार्य परियोजना' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.29 करोड़ से 'यूपी जल निगम द्वारा अनुरक्षित पूर्ण ग्रामीण जल कार्य परियोजना' को कम बताया गया और कार्य प्रगति पर को अधिक बताया गया।
- जल संस्थान झांसी से 1997-98 से 2010-11 की अवधि के दौरान अवशेष वसूल न किए गए जल प्रभारों के विरुद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करने के कारण 'देनदार' मद के अंतर्गत ठेकेदारों से बकाया राशि ₹ 148.46 करोड़ से अधिक बताई गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को भी ₹ 148.46 करोड़ से अधिक बताया गया।
- बैंक अवशेष से तैयार किये गये ₹ 40.10 करोड़ के फ्लेक्सी एफडीआर का लेखांकन नहीं करने और एफडीआर पर अर्जित ₹ 20.12 करोड़ के ब्याज का लेखांकन नहीं करने के कारण बैंकों के पास शेष ₹ 19.98 करोड़ से अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियाँ : बैंकों के पास सावधि जमा ₹ 40.10 करोड़ से और वर्ष के लिए अधिशेष ₹ 20.12 करोड़ से कम बताया गया।
- निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जिसके अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय केन्द्र सरकार द्वारा सेन्टेज अनुमन्य नहीं किया गया था उस पर सेन्टेज की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था 2012-13 के लिए आय और व्यय खाते में जमा किया गया कुल सेन्टेज ₹ 302.38 करोड़ था। इस तथ्य को महत्वपूर्ण प्रकृति का होने के कारण संबंधित वर्षों के लिए लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाना चाहिए था।

### 3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2017-18)

- विविध देनदारों में ₹ 9.56 करोड़, नोएडा प्राधिकरण से ₹ 5.84 करोड़ तथा ग्रेटर नोएडा (जीएनआईडीए) प्राधिकरण से ₹ 3.72 करोड़ वसूली योग्य शामिल है जो कि नोएडा/ग्रेटर नोएडा में सिटी बसों के संचालन में हानि के कारण क्षेत्रीय प्रबंधक नोएडा की पुस्तकों में इन प्राधिकरणों से 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए वसूली योग्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, नोएडा और जीएनआईडीए प्राधिकरण ने क्रमशः ₹ 3.48 करोड़ और ₹ 2.43 करोड़ की प्रतिपूर्ति की तथा शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति करने से मना कर दिया। तथापि, बकाया देय राशियों के विरुद्ध संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और विविध देनदारों को ₹ 3.65 करोड़ से अधिक बताया गया है, साथ ही साथ अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों को समान राशि से कम बताया गया।
- सेवाकर विभाग ने जून 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए वातानुकूलित बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर ₹ 12.73 करोड़ के सेवाकर का आंकलन किया। तथापि, लेखाओं में सेवाकर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.73 करोड़ से लाइसेंस एवं कर व्यय तथा चालू देनदारियों को कम बताया गया साथ ही साथ लाभ को अधिक बताया गया।

- निगम के यातायात राजस्व (यात्रियों) में राज्य सरकार के संबंधित विभाग से विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के किराए की प्रतिपूर्ति के लिए दावा की गई धनराशि ₹ 9.56 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यातायात राजस्व (यात्रियों) और विविध देनदारों को ₹ 9.56 करोड़ से कम बताया गया। तदनुसार लाभ को भी ₹ 9.56 करोड़ से कम बताया गया।
- तुलन पत्र की अनुसूची-I के अनुसार निगम की निर्गत, अभिदान और प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 814.87 करोड़ (राज्य सरकार) है जो परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित ₹ 700 करोड़ की 'अधिकृत पूंजी' से अधिक है।

### 6.6 लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों का गैर अनुपालन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 एवं 9 से 29 निर्धारित किये। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा समय-समय पर इसमें किये गए संशोधन के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंड. ए.एस.) अधिसूचित किये।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 16 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया जिसका विवरण तालिका 6.3 में है:

तालिका 6.3: लेखांकन मानकों/इंड. ए.एस. के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानकों/इंड एस का पालन नहीं किया गया
अ.	<b>सरकारी कम्पनियाँ:</b>		
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	एएस-15 एवं एएस-28
2.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	इंड एएस-2, इंड एएस-10, इंड एएस-16, इंड एएस-19, इंड एएस-20, इंड एएस-36, एवं इंड एएस-115
3.	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	2012-13	एएस-22
4.	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	एएस-10
5.	श्रीद्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	एएस-13 एवं एएस-15
6.	सदर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	एएस-1
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	इंड एएस-1, इंड एएस-16, इंड एएस-19, इंड एएस-36 एवं इंड एएस-109
8.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17	एएस-9, एएस-22, एएस-28 एवं एएस-29
9.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2015-16	एएस-10
10.	उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड	2016-17	एएस-2, एएस-7, एएस-15 एवं एएस-29
11.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	एएस-2 एवं एएस-22

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानकों/इंड एस का पालन नहीं किया गया
12.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	इंड एस-21, इंड एस-23, इंड एस-109 एवं इंड एस-116
13.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	एस-2, एस-7, एस-15 एवं एस-29
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18	एस-9, एस-15 एवं एस-28
15.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	2017-18	एस-1, एस-2, एस-3, एस-6, एस-9, एस-10, एस-12, एस-13, एस-15, एस-17, एस-18, एस-22 एवं एस-28
<b>ब.</b>	<b>सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियां:</b>		
1.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	एस-12

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था जिसको उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: लेखांकन मानकों/इंड. एस. के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सीएजी द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

लेखांकन मानक/इंड एस	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन	
एस-1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	कम्पनी ने वस्तु सूची के मूल्यांकन पर अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है, लेकिन लेखांकन नीति में बदलाव के कारण लेखाओं पर प्रभाव को प्रकट नहीं किया गया है।
एस-2	स्टॉक का मूल्यांकन	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2015-16	निगम ने अस्वीकृत (समाप्त) बीजों को प्रमाणित बीजों (उपयोग योग्य या समाप्त नहीं हुए बीज) की दर से मूल्यांकित किया है, जबकि उनका मूल्यांकन इसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना था।
एस-3	नकदी प्रवाह का विवरण	श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	नकदी प्रवाह विवरण के नीचे कम्पनी द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी को नहीं दिखाया गया था, जिसमें नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली विधि और कम्पनी के तुलन पत्र में दिखाए गए रोकड़ एवं रोकड़ समकक्षों के मिलान को दर्शाने वाले विवरण को दर्शाया गया था।
एस-4	तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं	यूपी राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17	उच्च न्यायालय के दिनांक 08 दिसम्बर 2017 के आदेश (बोर्ड द्वारा लेखाओं के अनुमोदन से पूर्व) के अनुसार शिवगढ़ रिजॉर्ट (वर्ष 2002-03 के लिए) से लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराए की वसूली योग्य राशि ₹ 8.80 लाख थी, लेकिन लेखा पुस्तकों में केवल ₹ 4.73 लाख दिखाया गया।
एस-12	सरकारी अनुदान	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन नीति नहीं तैयार की गई।
		श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	सरकारी अनुदानों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में प्रकट नहीं किया गया।

लेखांकन मानक/इंड एस	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन
एस-13	निवेश श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में निवेश के लिए लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया है।
एस-15	कर्मचारी लाभ यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	परिभाषित उपदान लाभ योजना और अवकाश नकदीकरण योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण ₹ 1.60 करोड़ (उपदान- ₹ 0.14 करोड़ और अवकाश नकदीकरण- ₹ 1.46 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते के विवरण में प्रभारित नहीं किया गया।
एस-20	प्रति अंश उपार्जन उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2017-18	कंपनी का लाभ एवं हानि खाता उसके मुखपृष्ठ पर प्रति अंश मूल तथा न्यूनकृत उपार्जन प्रस्तुत नहीं करता है।
एस-26	अमूर्त परिसम्पत्तियां मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13	कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/संचालन पूर्व व्यय को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
एस-29	संभाव्य देयताएं छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	लेखाओं पर टिप्पणियों के अनुसार विभिन्न पक्षों, कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए दावों को अभी तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जो ₹ 60.64 लाख थे। इसके अलावा मेसर्स अल्फा इंजीनियरिंग के पक्ष में विवाचन निर्णय (अप्रैल 1996) का ₹ 42.15 लाख का एक पुराना दावा था। लेकिन, एस के अन्तर्गत आवश्यक इसकी प्रकृति के संक्षिप्त विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
इंड एस-20	शासकीय अनुदान के लिए लेखांकन कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	ऋण के पुर्नभुगतान के लिए प्राप्त और पूँजी संचय के रूप में दिखायी गयी सब्सिडी के एक भाग (राशि अनिश्चित) को लाभ एवं हानि खाते में आय में परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित नहीं किया गया है।
इंड एस-23	ऋण लेने की लागत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	इंड एस-23 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मूलधन और ब्याज के भुगतान में देरी के कारण 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए ₹ 4.88 करोड़ के दंडात्मक ब्याज को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय पूँजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में लेखांकित किया।

### 6.7 प्रबन्धन पत्र

लेखापरीक्षक एवं कार्पोरेट इकाई की शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व हेतु प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर सम्प्रेषण स्थापित करना वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य है।

पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय प्रतिवेदनों या प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या त्रुटियों को भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को सम्प्रेषित किया गया। वर्ष के दौरान, सीएजी ने जिन पीएसयू को 'प्रबन्धन पत्र' निर्गत किये गए, उन्हें तालिका 6.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: पीएसयू का विवरण जिन्हें प्रबंधन पत्र निर्गत किए गए हैं

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष
<b>अ.</b>	<b>सरकारी कम्पनियाँ</b>	
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
2.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19
3.	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13
4.	नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
5.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड	2018-19
6.	श्रीद्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19
7.	उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड	2000-01
8.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20
9.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
10.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17
11.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2015-16
12.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2016-17
13.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18
14.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18
16.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	2017-18
<b>ब.</b>	<b>सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ:</b>	
1.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19
2.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19

सामान्य तौर पर कमियाँ सम्बन्धित थीं

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुप्रयोग और व्याख्या से;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से उत्पन्न समायोजनों से जो वित्तीय विवरणों पर मामूली प्रभाव डाल सकते हैं; तथा
- कुछ सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से जिस पर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

#### 6.8 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

### 6.9 निष्कर्ष

- 71 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 67 पीएसयू के 274 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 699 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके लेखे बकाया थे, ₹ 27,359.34 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,859.11 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, अनुदान: ₹ 4,086.35 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 9,937.34 करोड़) प्रदान किए थे।

### 6.10 संस्तुति

- प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करना चाहिए। सरकार पीएसयू के लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है और बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),  
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,

दिनांक **02 मई 2022**

प्रतिहस्ताक्षरित

गिरीश चंद्र मुर्मू

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक **05 मई 2022**

